भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2290
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

जनजातीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

2290. **श्री बंटी विवेक साहूः**
श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया एवं पातालकोट जैसे ग्रामीण एवं सुदूर जनजातीय क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने पात्र लाभार्थियों को मातृत्व लाभ का सफलतापूर्वक भुगतान किया गया है;
(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उक्त क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क, आधार लिंकिंग, निष्क्रिय बैंक खातों, तकनीकी त्रुटियों अथवा सत्यापन संबंधी समस्याओं के कारण अनेक पात्र लाभार्थियों के आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं अथवा उन्हें राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है;
(ग) यदि हाँ, तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) क्या सरकार का उक्त क्षेत्रों के जनजातीय बहुल जिलों में इस योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने तथा अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग करते हुए प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कोई विशेष अभियान चलाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): छिंदवाड़ा जिले (तामिया और पातालकोट को शामिल करते हुए) और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले के ग्रामीण और दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों में पीएमएमवीवाई के अंतर्गत मातृत्व लाभ का भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	छिंदवाड़ा जिला	लखीमपुर खीरी जिला
2025-26	21,969	17,286
2026-27 (29.07.2026 तक)	4,328	3,390

भारत सरकार द्वारा आधार लिंकिंग/निष्क्रिय बैंक खातों/तकनीकी कमियों/सत्यापन इत्यादि से संबंधित समस्याओं का समाधान करने और समय पर आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान सुनिश्चित करने, आवेदनों की निर्बाध प्रक्रिया, योजना का प्रभावी कार्यान्वयन तथा ग्रामीण और दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों सहित पात्र महिलाओं के बीच जागरूकता, पंजीकरण और कवरेज की संतृप्ति में वृद्धि करके महिला स्वास्थ्य सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय और पहल की गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

I. पीएमएमवीवाई के लिए मार्च 2023 में एक नया पूरी तरह से कागज रहित पोर्टल शुरू किया गया था। पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार, कागज़ का फॉर्म(फिजिकल फॉर्म) भरकर आगे की प्रक्रिया के लिए पुराने पीएमएमवीवाई-सीएएस पोर्टल पर अपलोड करने होते थे। नई प्रणाली में कागज़ में आवेदन पत्रों को समाप्त कर दिया गया है और पूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान किया गया है।
II. भुगतान, आधार ब्रिज पेमेंट्स सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि पीएमएमवीवाई पोर्टल पर आवेदकों के पहचान विवरण की पुष्टि के लिए आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फेशियल रिक्गनिशन सिस्टम के माध्यम से) की सुविधा है।
III. तीव्र प्रक्रिया के लिए पंजीकरण के समय ही आधार सत्यापन, बैंक खाते का डीबीटी-सक्षम होना आदि जैसी सभी अनिवार्य शर्तों की जांच की जाती है।
IV. सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए आवेदन की स्वीकृति और भुगतान स्थिति की जांच करने हेतु 'खोजें और स्थिति ट्रैक करें' की सुविधा उपलब्ध है।
V. सभी नागरिकों के लिए पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने हेतु शिकायत दर्ज करने और स्थिति का पता लगाने के लिए मॉड्यूल उपलब्ध है। यह मॉड्यूल शिकायत को सीधे कार्यान्वयन अधिकारियों को भेजता है, जिससे समय की बचत होती है और त्वरित समाधान होता है।
VI. पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए टोल-फ्री एवं बहुभाषी (16 भाषाएं) हेल्पलाइन (1515) उपलब्ध है। पारदर्शिता के उद्देश्य से, आवेदकों/लाभार्थियों को आवेदन के पंजीकरण, पंजीकरण की अस्वीकृति, भुगतान आदि जैसे विभिन्न चरणों पर मुख्य 12 भाषाओं में से एक में एसएमएस प्राप्त होता है।

VII. पीएमएमवीवाई पोर्टल आंगनवाड़ी केंद्र स्तर तक एलजीडी अनुपालन योग्य है। राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक एलजीडी सीडिंग शुरू की गई है।

VIII. ओपन एपीआई में अन्य केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रालयों/विभागों के साथ डेटा साझा करने की स्वतंत्रता है।

IX. विस्तृत निगरानी/विश्लेषण के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/वार्ड/परियोजना/ सेक्टर/आंगनवाड़ी स्तर पर एमआईएस डेटा तैयार किया जा सकता है।

X. पीएमएमवीवाई का उपयोग, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा डेटा-केंद्रित संचालन और रिपोर्ट देखने के लिए किया जाएगा।

XI. पोषण ट्रैकर पर गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओ के उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा स्तर पर सुलभ पीएमएमवीवाई पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों की 'सूची' (Due List) बनाने के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो के लिए 'संकल्प - महिला सशक्तिकरण केंद्र' योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार के विविध कार्यकलाप जैसे कि प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो पर जिंगल प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर अभियान तथा सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं, जो फील्ड कार्यकर्ताओं के स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के तहत पंजीकृत करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाता है।

समय-समय पर सरकार स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न कमियों को दूर करने और जनजातीय बहुल जिलों सहित देश भर में पीएमएमवीवाई के तहत अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने हेतु पीएमएमवीवाई के तहत विभिन्न 'विशेष अभियान'/'नामांकन अभियान' आयोजित करती है। हाल ही में, मंत्रालय ने 15 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक एक 'विशेष अभियान' आयोजित किया, जिसके दौरान योजना के तहत नामांकित लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

	15.06.2026 से 15.07.2026 तक विशेष अभियान के दौरान नामांकित लाभार्थी
भारत	8,83,877
उत्तर प्रदेश	1,77,966
मध्य प्रदेश	97,811
